कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क्र/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/4241 भिलाई, दिनांक 14/03/22

//आदेश//

मानयनीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन के द्वारा विधानसभा सत्र 25.03.2022 के पश्चात्, समस्त विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कार्यक्रम एवं रात्रि विश्राम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं शासन की महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति के साथ – साथ क्षेत्र में स्थित गौठानों का निरीक्षण करेंगे एवं लोगो से फीडबैक लेंगे।

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4237, दिनांक 11.03.2022 में आंशिक संशोधन करते हुये नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के जोन अंतर्गत संचालित गौठानों के समस्त प्रकार की गतिविधियों एवं गोधन न्याय योजना हेतु संबंधित जोन के जोन आयुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं मुख्य कार्यालय से **श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त** को नोडल अधिकारी एवं **श्री सुनील अग्रहरि, उपायुक्त** को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है :–

क्रं.	जोन	नोडल अधिकारी	सहायक नोडल अधिकारी
1	जोन – 1, नेहरू नगर	श्री मनीष कुमार गायकवाड़, जोन आयुक्त	श्री संजय शर्मा, कार्यपालन अभियंता श्री परमेश्वर चंद्राकर, सहायक राजस्व अधिकारी श्री अंकित सक्सेना, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
2	जोन – 2, वैशाली नगर	श्रीमती पूजा पिल्ले, जोन आयुक्त	श्री कुलदीप कुमार गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व अधिकारी श्री अनिल मिश्रा, सहायक स्वास्थ्यअधिकारी
3	जोन – 3, मदर टेरेसा नगर	सुश्री येशा लहरे, जोन आयुक्त	श्री टी.के. रणदिवे, कार्यपालन अभियंता श्री मलखान सिंह सोरी, सहायक राजस्व अधिकारी श्री सुदामा परघनिया, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
4	जोन – 4, शिवाजी नगर	श्री अमिताभ शर्मा, जोन आयुक्त	श्री संजय बागड़े, कार्यपालन अभियंता श्री बालकृष्ण नायडू, सहायक राजस्व अधिकारी श्री महेश कुमार पाण्डेय,सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
5	जोन – 5, सेक्टर – 06	श्रीमती प्रीति सिंह, जोन आयुक्त	श्री सुनील दुबे, कार्यपालन अभियंता श्री जे.पी. तिवारी, सहायक राजस्व अधिकारी श्री व्ही. के. सेमुअल, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी

- समस्त शहरी गौठानों में भौतिक रूप से पूर्णतः घेरा, पेयजल व्यवस्था, चारा व्यवस्था, वर्मी टांकों का निर्माण एवं पशु शेड का निर्माण।
- गौठानों में नियमित रूप से प्रतिदिन पशुओं की उपस्थिति हो।
- गौठानों में नियमित रूप से गोबर खरीदी एवं वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर विक्रय किया जाना।
- शहरी गौठान में अन्य आजीविका गतिविधियां (जैसे – मशरूम उत्पादन, साक – सब्जी उत्पादन, अगरबत्ती बनाना, फूलों से गुलाल बनाना, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि) कराया जाना।
- गौठानों में नियमित रूप से गौठान समिति की बैठक कराया जाना।
- बाड़ी में उत्पादित शाक – सब्जी को मध्यान भोजन एवं गर्म भोजन हेतु आंगनबाड़ी एवं स्कूल से जोड़ा जाना।
- पशु चिकित्सा विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण कराया जाना।

क्रमशः..2

- आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक 3 माह में 2000.00 क्विं. वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन अर्थात् आगामी वर्ष में कुल 8000.00 क्विं. वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाना।
- वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन के लक्ष्य के अनुसार गोबर खरीदी किया जाना एवं वर्मी टांका का निर्माण किया जाना एवं अन्य।

उपरोक्तानुसार जोन में संचालित गौठानों एवं गोधन न्याय योजना अंतर्गत संचालित समस्त प्रकार की गतिविधियों मुख्य कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, पी.एम.यू./पी.आई.यू./समस्त मिशन मैनेजर शहरी आजीविका मिशन के साथ समन्वय कर उक्त गतिविधियों का अद्यतन डाटा तैयार किया जावे एवं प्रत्येक सोमवार को जानकारी अद्यतन की जाये।

उक्त योजनाओं के अतिरिक्त नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत संचालित निम्न बिंदुओं पर समीक्षा सर्व संबंधित विभाग प्रमुख या नोडल अधिकारी द्वारा सतत् किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1. समय सीमा अंतर्गत निराकृत किए जाने वाले राजस्व प्रकरणों की स्थिति।
2.

निगमों के निवेश क्षेत्रों में बिना मानवीय हस्तक्षेप के 5000 वर्ग फुट तक भूमि के ले आउट एवं भवन अनुज्ञा अनुमोदन की स्थिति। • शेष भूमियों के ले आउट एंव भवन अनुज्ञा आवेदनों के निर्धारित समय सीमा में निराकरण की स्थिति।	(भवन निर्माण अधिकारी)

3. निकायों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की स्थिति।
4. विद्युत से संबंधित आवेदनों/शिकायतों के निराकरण की स्थिति।
5. स्लम पट्टों, नजूल पट्टों, आबादी भूमि धारकों को मालिकाना हक प्रदान करने में हुई प्रगति।
6. शासकीय भूमि के आबंटन व्यवस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति।
7. अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति।
8. स्लम स्वास्थ्य क्लीनिक, रियायती दर पर दवा योजना की प्रगति। मुख्यमंत्री श्री धन्वंतरी सस्ती दवा दुकान योजना।
9. EWS हेतु आरक्षित भूमि के उपयोग की स्थिति।
10. सी–मार्ट स्थापना/संचालन में हुई प्रगति।
11. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना, (विशेषतः शासकीय भवनों आवासों/ कार्यालयों में)
12. नरवा गवा घुरवा बाड़ी, धरसा विकास योजना के संबंध में स्थिति।
13. आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा हिन्दी माध्यम स्कूल के संबंध में।
14. स्वास्थ्य केंद्र/उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अमले एवं दवाओं की उपलब्धता।
15. राजीव युवा मितान क्लब का गठन।
16. सड़कों की स्थिति और नई सड़कों की आवश्यकता।
17. गोबर खरीदी एवं भुगतान।
18. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपलब्धता, पोषाहार वितरण, गर्म भोजन की व्यवस्था।

कमश..3

19. गौठानों का सुचारू संचालन/गौठानों में अन्य आय वृद्धि वाली गतिविधियों का संचालन।
20. नवीन राशन कार्ड निर्माण – राशन वितरण,
21. सामाजिक सुरक्षा संबंधी पेंशन का वितरण।
22. सभी हैंड पंपों एवं नल–जल, अमृत मिशन योजना का सुचारू संचालन।
23. पशुओं की चिकित्सा हेतु चिकित्सक एवं दवाओं की व्यवस्था।
24. वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उपयोगी वृक्षों का रोपण।
25. जन सुविधा केंद्र की सेवायें तथा आवश्यक प्रमाण–पत्र आदि बनाने की स्थिति।
26. शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
27. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा की जानकारी अद्यतन करना।
28. क्यू. डी. सी. सर्वे प्रगति संबंधी।

उपरोक्त बिंदुओं/योजनाओं की जानकारी सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सोमवार को अद्यतन कर परियोजना शाखा एवं मुख्य कार्यालय के मेल आईडी nigm_bhilai@yahoo.co.in में मेल किया जावें।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित की जावे।

(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/4242 भिलाई, दिनांक 15/03/22

प्रतिलिपिः–

1. महापौर/सभापति महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता, I/II/III, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी, गोधन न्याय योजना/नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन–1,2,3,4 एवं 5/जलकार्य/स्वास्थ्य/कम्प्युटर/विद्युत/भवन संधारण/स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. सर्व संबंधित श्री/सुश्री...
नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. संबंधित विभाग प्रमुख...नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई